हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 फरवरी, 1998

संख्या सा० का० नि० 107 संवि०/अनु०/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा इतर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप ब) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इतर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप—ब) सेवा नियम 1998 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा कोई हो ;

(ग) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ।

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इतर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप ब) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों में परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास और चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु वर्ग (ख) (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसको दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को 22 वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो: योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पर्याप्त प्रतिवत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिए लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,— अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,— भर्ती का ढंग

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में रहे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा में किसी को पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानापन्नता द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समरूप अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इन नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में, गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिस ने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अवसर कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उस की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो;

(ii) ऐसे व्यक्ति को, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ब) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर परिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिसमें वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

6

(ग) विभिन्न सवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी; अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये, अपेक्षित किये जाने पर, सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य में नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट के केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएं। — वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे : — अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (ङ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा। — टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उस ने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। — राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। — ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति के आदेश में विशेष निबन्धन और शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। — विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा को किसी — आरक्षण।

वर्गों या प्रवर्गों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	फिज्योथैरैपिस्ट	10	5	15	2,000—60—2,300—ई० रो० 75—2,900—100—3,500 रुपये ।

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
	फिज्योथैरैपिस्ट	(क) 10+2 साईंस के साथ फि-मैडीकल या समकक्ष	(क) 10+2 साईंस के साथ फि-मैडीकल या समकक्ष
		(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिज्योथैरैपी में डिप्लोमा अथवा डिग्री,	(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिज्योथैरैपी में डिप्लोमा अथवा डिग्री,
		(ग) पुर्नवास केन्द्रों या बनावटी अंगों को लगाने वाले केन्द्रों में काम करने का दो वर्ष का अनुभव,	(ग) पुर्नवास केन्द्र/बनावटी अंगों को लगाने वाले केन्द्रों में काम करने का दो साल का अनुभव,
		(घ) मैट्रिक तक हिन्दी।	(घ) मैट्रिक तक हिन्दी।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (i)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	फिजियोथैरेपिस्ट	सरकार	1. छोटी शास्तियां :			
			(i) व्यक्तिगत फाईल (चरित्र पंजी) पर प्रविष्ट रखते हुये चेतावनी;		महानिदेशक	सरकार
			(ii) परिनिन्दा ;			
			(iii) पदोन्नति रोकना ;			
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			2. बड़ी शास्तियां :			
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;		सरकार	

1	2	3	4	5	6
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी को उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;		
			(xi) सेवा से पदच्युति , जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	फिजियोथैरेपिस्ट	(क) पैंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सरकार	..
		(ख) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		

वीना ईंगलटन,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 29, 1998 (ASVN 7, 1920 SAKA) 3053

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 12th February, 1998

No. G.S.R.107/Const./Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the powers to article 309 of the Constitution of India, and all other Powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Services, namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service Rules, 1998. Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Director General" means the Director General, Health Services, Haryana ;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of any official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised University" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Health Department Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of post.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is, —

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commissioner or any recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty five years of age, on or before the last date of submission of application to Commission.

Appointing Authority.

6. Appointments to any posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the quafications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backeward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. (1) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service in the case of Physiotherapist shall be made,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer of an Officer already in the Service of the Government of India or any State Government.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the

case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and

(b) if such person appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former posts ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determind by the length of continous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different caders in Service, the seniority shall be determined separately for such cadre :

Provided further that in the case of a members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of their Service in the appointments; and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and Other matters.

13. In respect of pay, leave pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take an oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respective any class or category of persons.

Special Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and Savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

[*See* rule (3)]

Sr. No	Designation of posts	Number of posts			Scales of Pay
		Permanent	Temporary	total	
1	2	3	4	5	6
1	Physiotherapist	10	5	15	Rs. 2,000—60—2,300 EB—75—2,900—100—3,500.

APPENDIX B

(*See* rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Physiotherapist	(a) 10+2 with Science/ Pre-Medical or equivalent; (b) Diploma or Degree in Physiotherapist from a recognised institution; (c) Two years experience in Rehabilitation Centres or Artificial Limb Fitting Centres; (d) Hindi up to Matric.	(a) 10+2 with Science Pre-Medical or equivalent; (b) Diploma Degree in Physiotheraphy from recognised institution; (c) Two years experience in Rehabilitation Centres or Artific Limb Fitting Ce (d) Hindi up to

APPENDIX C

[*See* rule 14 (1)]

Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority.
1	2	3	4	5	6	7
1	Physiotherapist	Government	**Minor Penalties** — (i) warning with a copy on the personal file (Character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to Central Government, State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and	Director General	Government	

1	2	3	4	5	6	7
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;			
			Major Penalties —			
			(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;		Government —	
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to			

1	2	3	4	5	6	7
			the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(ix) compulsory retirement ;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[*See* rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Physiotherapist	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	—

VEENA EAGLETON,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

From

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Health Department.

To

The Controller,
Printing & Stationary, Haryana,
Panchkula.

Memo No. 47/6/2022-4 HB-II
Dated, Chandigarh the 11.05.2022

Subject:- **Regarding raising of lower age limit for entry into Government Service Amendment in relevant Service Rules- Health Department.**

Reference on the subject cited above.

2. Please find enclosed herewith copies of following notification (both Hindi & English) with the request to publish these notifications in the Haryana Government Extra Ordinary Gazettee and send 50 copies of each to this Department after publication:-

1. Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
2. Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service (1st Amendment) Rules, 2022.
3. Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
4. Haryana Health Department Para-Medical and Miscellaneous, posts (State Group 'C') Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
5. Haryana Health Department--Laboratory Technician (Group-C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
6. Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' service (4th Amendment) Rules, 2022.
7. Haryana Health Department, Nursing Personnel and Lady House Keepers (Group C) Service (1st Amendment) Rules, 2022.
8. Haryana Health Department, Transport Service (State Service Class III) (1st amendment) Rules, 2022.
9. Haryana Health Department Statistical (Group C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
10. Haryana Health Department Miscellaneous Staff (Malaria) Group-C Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
11. Haryana Health Department Tuberculosis (Group C) Service (1st Amendment) Rules, 2022.
12. Haryana Health Department Dental (Group C) Service (1st Amendment) Rules, 2022.
13. Health Department Analytical Staff (Group C) Service (1st Amendment) Rules, 2022.

Superintendent Health-II
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Health Department

Endst No. 47/6/2022-4 HB-II **Dated, Chandigarh the 11.05.2022**

A copy of above mentioned notifications is sent herewith to the following for information and necessary action:-

1. Commissioner, FDA, Haryana, SCO-94, Sector-5, Panchkula
2. Director General, Health Services, Haryana, Sector-6, Panchkula.
3. Supdt Health Branch-III (Nodal officer).

Superintendent Health-II
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Health Department

Haryana Government
Health Department
Notification

The 11th May, 2022

No. 47/6/2022-4HB II :- In Exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service (1st Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 5, for the word "Seventeen" the word 'eighteen' shall be substituted.

Rajeev Arora
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2022

संख्या 47/6/2022–4एच0बी0 II :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा नियम 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा नियम 1998 के नियम 5 में, 'सत्रह' शब्द के स्थान पर 'अठारह' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राजीव अरोड़ा

राजीव अरोडा
अवर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 83-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 11, 2022 (VAISAKHA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2022

संख्या 47/6/2022–4एच०बी० II.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा नियम 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर फिज्योथैरेपिस्ट (ग्रुप–ख) सेवा नियम 1998 के नियम 5 में, 'सत्रह' शब्द के स्थान पर 'अठारह' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2022

No. 47/6/2022-4HB II.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service (1st Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Health Department, Non-Medical Physiotherapist (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 5, for the word "Seventeen" the word 'eighteen' shall be substituted.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.

9599—C.S.—H.G.P. Pkl.